प्रेस नोट दिनांक- 30.11.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
दहेज हत्या के प्रकरण से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
थाना मानिकपुर पुलिस टीम द्वारा बड़गौ मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 28.11.2024 को वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 243/2024 धारा 80, 85 बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में उ0नि0 नदीम खान मय हमराह आरक्षी वासिल, आरक्षी गौरव कुमार, म0आरक्षी शबनम चौहान द्वारा अभियुक्त सुभाष गौतम पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ धरमू गौतम निवासी ग्राम बहरामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ को दिनांक 30.11.2024 को थानाक्षेत्र मानिकपुर के बड़गौ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त सुभाष गौतम पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ धरमू गौतम को मु0अ0सं0 243/2024 धारा 80, 85 बीएनएस व धारा 3/4 डीपी एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
सुभाष गौतम पुत्र धर्मेन्द्र उर्फ धरमू गौतम निवासी ग्राम बहरामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
उ0नि0 नदीम खान मय हमराह आरक्षी वासिल, आरक्षी गौरव कुमार, म0आरक्षी शबनम चौहान थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
मारपीट, जमीन कब्जा करने के प्रकरण से संबंधित 03 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना अन्तू पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ताओं को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त का विवरण-
दिनांक 26.09.2024 को वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अन्तू में मु0अ0सं0 545/2024 धारा 115(2), 119(1), 352 बीएनएस का अभियोग 04 नामजद के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अन्तू श्री आनन्द पाल सिंह नेतृत्व में निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 प्रीति कटियार, म0उ0नि0 मनोकेसरवानी, कां0 अनिल यादव, म0कां0 दीपिका त्रिपाठी, म0कां0 संगीता यादव, म0कां0 मंशा यादव, म0कां0 गुडिया देवी, म0कां0 भारती परमार, म0कां0 रेनू यादव, म0कां0 निशा यादव द्वारा अभियुक्ता 01. ममता वर्मा 02. कविता वर्मा 03. कुसुम वर्मा पुत्रीगण स्व0 बलिकरन वर्मा निवासीगण ग्राम नेपलवा बझान थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 30.11.2024 को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्ता 01. ममता वर्मा 02. कविता वर्मा 03. कुसुम वर्मा को मु0अ0सं0 545/2024 धारा 115(2), 119(1), 352 बीएनएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01. ममता वर्मा पुत्री स्व0 बलिकरन वर्मा निवास ग्राम नेपलवा बझान थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
02. कविता वर्मा पुत्री स्व0 बलिकरन वर्मा निवास ग्राम नेपलवा बझान थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।
03. कुसुम वर्मा पुत्री स्व0 बलिकरन वर्मा निवास ग्राम नेपलवा बझान थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
निरीक्षक श्री विनोद कुमार यादव मय हमराह म0उ0नि0 प्रीति कटियार, म0उ0नि0 मनोकेसरवानी, कां0 अनिल यादव, म0कां0 दीपिका त्रिपाठी, म0कां0 संगीता यादव, म0कां0 मंशा यादव, म0कां0 गुडिया देवी, म0कां0 भारती परमार, म0कां0 रेनू यादव, म0कां0 निशा यादव थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एटीएम में पैसे चोरी की घटना से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भूपियाम चौराहा के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एटीएम से चोरी के 10 हजार रुपये, 01 अदद फाइबर प्लेट, 05 अदद एटीएम कार्ड बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.11.2024 को भूपियामऊ चैराहा थाना क्षेत्र कोतवाली देहात, प्रतापगढ़ में वन इंडिया एटीएम पर आवेदक द्वारा अपने एटीएम से 10000/- निकालने का प्रयास किया गया। रुपए उनके खाते से कट गए लेकिन एटीएम मशीन के मुंह पर फाइबर पट्टी लगी होने के कारण पैसा बाहर नहीं निकल सका। आवेदक को संदेह होने पर उन्होंने फाइबर पट्टी व 10000/- नगद के साथ कुछ देर उपरांत एक व्यक्ति कमरुल पुत्र आबिद अली निवासी नरसिंहपुर थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को पकड़ लिया गया। तथा कमरुल का दूसरा साथी नाम अज्ञात एक स्विफ्ट कर नंबर यूपी 70 बीपी 5951 (जो की प्रार्थना पत्र में दर्शाया गया है) से मौके से भाग गया है। उक्त प्रकरण के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 375/2024 धारा 303(2), 317(2), 334(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी किये जाने हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे।

अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण बैश के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री अभिषेक सिरोही नेतृत्व में का0 किशन द्वारा जनता के सहयोग से मु0अ0सं0 375/2024 धारा 303(2), 317(2), 334(1) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त कमरुल हसन पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद फाइबर प्लेट, 05 अदद एटीएम कार्ड और 10000/- रुपये नगद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कमरुल हसन पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास -

कमरुल हसन पुत्र आबिद अली निवासी ग्राम नरसिंहपुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 278/24 धारा 110/ 115(2)/ 127(2)/ 191(2)/ 351(2)/ 351(3)/ 352 bns थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 375/2024 धारा 303(2), 317(2), 334(1) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0स0 682/21 धारा 323/452/504/506 IPC थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01 अदद फाइबर प्लेट ।

05 अदद एटीएम कार्ड।

10000/- रुपये नगद।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01अवैध तमन्चा 315 बोर व 01 अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत जेल के पीछे रेलवे कालोनी मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह थाना कोतवाली नगर के नेतृत्व में उ0नि0 विनय सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र कुमार, कां0 मनोज कुमार, कां0 अभिषेक वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त 01- मो0 जैद पुत्र अमजद अली निवासी ग्राम नई बस्ती बेगम बार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान रेलवे अंडर पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 655/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- मो0 जैद पुत्र अमजद अली निवासी ग्राम नई बस्ती बेगम बार्ड थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 विनय सिंह मय हमराह का0 योगेन्द्र कुमार, कां0 मनोज कुमार, कां0 अभिषेक वर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी का 01 अदद मोबाइल वीवो कंपनी व 01 अदद मोबाइल चार्जर, नगद-1010/- रुपये बरामद व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को किया गया सीज-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना बाघराय पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा लालगोपालगंज लिंक मार्ग से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का 01 अदद मोबाइल वीवो कंपनी व 01 अदद मोबाइल चार्जर, नगद- 1010/- रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया गया बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 26/27.11.2024 को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धारुपुर भाव में अज्ञात द्वारा घर में घुस कर मोबाइल, चार्जर व अन्य सामान चोरी करने के प्रकरण में वादिनी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 378 / 24 धारा 331(4), 305 बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेत्तृत्व में थाना बाघराय के उ0नि0 विनोद कुमार शुक्ला मय हमराह प्रशि0उ0नि0 विकास प्रधान, का० अंकित कुमार, कां० गौरव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत जेठवारा लालगोपालगंज लिंक मार्ग से दिनांक 30.11.2024 को मु0अ0सं0 378/24 व धारा 331(4), 305 बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को चोरी की 01 एंड्राइड मोबाइल वीवो कम्पनी मॉडल नं0 T35 (G) व मोबाइल चार्जर ऐलाईट कम्पनी मय डाटा केबल, नगद-1010/- रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में दोनो व्यक्तियो ने एक साथ बताया कि साहब हम दोनो ने रामकिशोर के घर से चुराया था। हम दोनो व्यक्ति मिलकर आस-पास के घरो से छोटी-मोटी चोरी करते है और अपने खाने-पीने और शानो शौकत मे खत्म कर देते है। जो पैसा हम दोनो ने चुराया था वह सब खर्च हो गया है। केवल यही बचा है। साहब दिनांक 26.11.2024 के रात मे धारुपुर भाव मे रामकिशोर के घर से हम दोनो ने घर के अंदर से चोरी किया था जिसमे से हम दोनो ने चार-चार हजार रुपये आपस मे बांट लिया था साहब हम लोग इसी मोटर साइकिल का इस्तेमाल कर चोरी करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवसागर अशोक कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी सराय प्रतापिन थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

02. सूरज सरोज पुत्र स्व0 मुन्ना सरोज निवासी सराय प्रतापिन थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

1. चोरी का 01 एंड्राइड मोबाइल वीवो कम्पनी मॉडल नं0 T35 (G)।
2. चोरी का मोबाइल चार्जर ऐलाईट कम्पनी मय डाटा केबल।
3. चोरी के शेष बचे नगद- 1010 रुपये
4. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

उ0नि0 विनोद कुमार शुक्ला मय हमराह प्रशि0उ0नि0 विकास प्रधान, का० अंकित कुमार, कां० गौरव थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।